

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1996/2010/नागौर.

मैसर्स घीसूलाल चौरडिया, नागौर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
नागौर।

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1997/2010/नागौर.

मैसर्स गुलाब चन्द एण्ड कम्पनी, नागौर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
नागौर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जे.एन.शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 11/12/2017

निर्णय

- अपीलार्थीगण द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेशों के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नागौर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत मांग राशियों की पुष्टि की गयी है।
- इन सभी दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		कर	ब्याज
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष		
1.	1996/10	242/09-10/वेट/नागौर	13.08.10	21.01.10	2007-08	73,803	21,403
2.	1997/10	241/09-10/वेट/नागौर	13.08.10	21.01.10	2007-08	99,944	28,985

- प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी तम्बाकू उत्पादों (बीडी) का व्यवसाय करता है, केन्द्र सरकार ने दिनांक 01.04.2007 से तम्बाकू उत्पाद पर Goods of special importance Act, 1957 के तहत एक्साइज एडीशनल ड्यूटी को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण तम्बाकू उत्पाद वेट एक्ट की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 40 की शर्तों को पूर्ण

लगातार.....2

नहीं करने से कर मुक्त की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि वैट अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 136 के अनुसार तम्बाकू उत्पाद दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 की अवधि के बीच में 4 प्रतिशत कर योग्य होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने इस अवधि में की गई बीड़ी की बिक्री पर 4 प्रतिशत से कर निर्धारित किया तथा ब्याज आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपना आदेश पारित कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कुल मांग राशि को यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वैट एक्ट के प्रथम शिड्यूल की प्रविष्टि संख्या 40 में संशोधन दिनांक 04.04.2007 से किया गया था इसलिये तम्बाकू उत्पाद पर कर देयता दिनांक 04.04.2007 से ही वैट एक्ट की अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 136 के तहत करारोपण किया है, जो कि अविधिक है। अपीलार्थी ने समस्त माल मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि०, 6 रेजिडेन्सी रोड, जोधपुर टिन नं० 08462654686 से खरीद किया था। मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि० का जयपुर स्थित कार्यालय 413 सी, राम हेरीटेज, विद्याधर नगर, जयपुर का प्रतिकरापवंचन वृत्त तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 02.05.2007 को सर्वेक्षण किया गया था जिसमें अपीलार्थी को माल के विक्रेता उक्त मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि० द्वारा की गयी बिक्री अवधि दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 से जारी की अवधि के वैट इनवॉइस में वैट चार्ज नहीं करने के कारण वैट एक्ट की धारा 25(1) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.06.2007 को पारित किया जा चुका है जिसमें दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 की अवधि के बीच की गई विवादित बिक्री पर वैट दर 4 प्रतिशत से आरोपित कियाथा जिसे विक्रेता व्यवसायी ने उक्त मैसर्स देसाई ब्रदर्स लि० ने 26.06.2007 को ही जमा करा दिया था। वैट एक्ट के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी ने राज्य के पंजीकृत व्यवसायी से माल खरीदा है इसलिये अपीलार्थी पर उसके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि पर ही कर दायित्व रहता है क्योंकि खरीद मूल्य पर अपीलार्थी को माल विक्रेता ने कर अदा कर दिया है। अतः उन्होंने आरोपित कर एवं ब्याज अविधिक होने के कारण उसे अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी) का व्यवसाय करता है, केन्द्र सरकार ने दिनांक 01.04.2007 से तम्बाकू उत्पाद पर Goods of special importance Act, 1957 के तहत एक्साइज एडीशनल ड्यूटी को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण तम्बाकू उत्पाद वैट एक्ट की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 40 की शर्तों को पूर्ण नहीं करने से कर मुक्त की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि वैट अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 136 के अनुसार तम्बाकू उत्पाद दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 की अवधि के बीच में 4 प्रतिशत कर योग्य होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने 4 प्रतिशत से कर निर्धारित किया तथा ब्याज आरोपित किया। जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत्

रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है, अतः उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी) की खरीद-बिक्री करता है। तम्बाकू उत्पाद पर कर देयता के संबंध में वैट एक्ट की अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 40 इस प्रकार है :-

40. तम्बाकू जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरोपणीय है लेकिन भारत सरकार द्वारा माफ किया गया है (Tobacco on which Additional Excise duty was leviable but exempted by Govt. of India) उक्त प्रविष्टि के अनुसार शर्त पूरी नहीं होने की स्थिति में तम्बाकू उत्पाद पर 4 प्रतिशत की कर देयता अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 136 में विहित की गई है जिसके अनुसार अनुसूची प्रथम के अन्तर्गत नहीं आने वाले तम्बाकू उत्पाद पर 4 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार ने टैक्सेसन लॉज (एमेंडमेंट) एक्ट 2007 को दिनांक 01.04.2007 को लागू करते हुए तम्बाकू उत्पाद को सीएसटी की धारा 14 की अनुसूची से अलग कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप तम्बाकू उत्पाद दिनांक 01.04.2007 से ही अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 40 के अन्तर्गत नहीं आने के कारण 4 प्रतिशत कर योग्य है। राज्य सरकार ने दिनांक 04.04.2007 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 136 को विलोपित कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप तम्बाकू उत्पाद दिनांक 04.04.2007 से 12.50 प्रतिशत से कर योग्य हो गये। अतः सशक्त अधिकारी ने दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 के बीच की गई बिक्री पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की गई है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 के बीच की गयी खरीद के वैट इनवाइस अनुसार कोई कर जमा नहीं कराया गया बल्कि विक्रेता व्यवसायी स्वयं ने उसके विरुद्ध मांग सृजित किये जाने पर कर जमा कराया है। वैट एक्ट की धारा 17 अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यवसायी (धारा 3(2) व धारा 5 के तहत पंजीकृत व्यवसायी को छोड़कर) का शुद्ध चुकाने योग्य कर की गणना की विधि बतायी है। जिसके अनुसार बिक्री पर कर के साथ रिवर्स कर तथा क्रय कर जोड़ने के बाद उसमें से आगत कर की राशि घटाने के उपरान्त शेष राशि राज्य कोष में जमा करायी जाती है। इनपुट टैक्स की परिभाषा में धारा 2(17) में प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किसी वस्तु की खरीद पर चुकाया गया या चुकाये जाने योग्य कर को इनपुट टैक्स कहा गया है। लेकिन धारा 18(3)(iv) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि क्रेता व्यवसायी को इनपुट टैक्स का समायोजन उसी राशि का स्वीकृत हो सकता है जो राशि वैट इनवाइस में अलग से दर्शायी गयी है। अधिनियम के नियम 38 में इनवाइस के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, जो नियम 38(1) एवं 38(2) के तहत उल्लेखित है। नियम 38(2)(H) में स्पष्ट उल्लेख है कि "The rate and amount of tax charged there on indicated separately. इसके पश्चात् 38(3) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है No input tax credit shall be allowed unless the dealer makes full compliance of sub-rule (1) and (2). इस प्रकरण में भी व्यवसायी के पास प्राप्त बिलों में वैट पृथक से चार्ज नहीं किया गया है। अपीलार्थी के इस अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा

विवादित अवधि में खरीद किये गये तम्बाकू उत्पाद से संबंधित बिलों में माल को एडिसनल एक्साईज ड्यूटी पेड़ बताया गया है तथा वैट चार्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को आगत कर का समायोजन नहीं दिया जा सकता। अतः सशक्त अधिकारी ने दिनांक 01.04.2007 से 03.04.2007 की अवधि में तम्बाकू उत्पाद की गई बिक्री पर 4 प्रतिशत से करारोपण करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है एवं कर जमा नहीं कराने के कारण धारा 55 के तहत देरी अवधि के लिये ब्याज स्वतः ही देय है। अतः अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को यथावत रखे जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

9. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।
निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य